Open University After the Name of Raja Bhoj

1495. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that an open University after the name of Raja Bhoj is proposed to be set up in Madhya Pradesh with the Central assistance;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether it is a fact that the proposed University is likely to conduct short-term employment-oriented courses; and

(d) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): (a) and (b) According to the inforwation furnished by the Govt. of Madhya Pradesh, the State Govt. has enacted the Madhya Pradesh Bhoj Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1991 to establish and incorporate an Open University at state level for the introduction and promotion of open university and distance education systems in the field of higher education. The objects of the University include the advancement and dissemination of learning and knowledge by different means, including the use of any communication technology; and provision of opportunities for higher education to a larger segment of the population.

The State open universities are eligible for Central assistanee on being declared fit by UGC for Central assistance. For this purpose the University should have minimum physical and academic infrastructure as prescribed by UGC.

(c) and (d) The Act empowers the University to provide for instruction in such branches of knowledge, technology, vocations and professions as the University way determine from time to time. The University has powers to plan and prescribe courses of study for degrees, diplomas, certificates or for any other purpose. It would take time for the University to identify design and introduce appropriate courses in different disciplines.

प्रत्येक खंड स्तर पर नवोदय विद्यालय

1496. **श्री शिव प्रसाद चनपुरिया :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रत्येक जिले में केवल एक ही नवोदय विद्यालय खोले जाने के कारण आदिवासी क्षेत्रों के बहुत से प्रतिभाशाली छात्र नवोदय विद्यालयों में प्रवेश नहीं पा रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार अधिक से अधिक संख्या में ऐसे छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए अब प्रत्येक ब्लाक स्तर पर एक नवोदय विद्यालय खोलना चाहती है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह) : (क) नवोदय विद्यालयों में दाखिले कक्षा-VI में रा०शै०अनु०प्र०प० द्वारा संचालित प्रवेश-परीक्षा के आधार पर किए जाते हैं और परीक्षा में चुने गए छात्रों को योग्यता के आधार पर दाखिला दिया जाता है । यह योजना सराहनीय छात्रों की एक सीमित संख्या के लिए तैयार की गई है और एक विद्यालय में दाखिला संख्या 80 छात्रों तक है । तथापि, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमश: 15 प्रति शत और $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत न्यूनतम आधार पर विशेष जिले में अनुपात के अनुसार है; अत: बुद्धिमान आदिवासी छात्रों को आदिवासी क्षेत्रों में एक अच्छा अवसर मिल जाता है ।

(ख) और (ग) जी, नहीं । इस योजना में देश के प्रत्येक जिले में औसतन एक नवोदय विद्यालय खोले जाने की परिकल्पा कल्पना की गई है।

पब्लिक स्कूलों में कदाचार

1497. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पब्लिक स्कूलों में चन्दे (डोनेशन) के आधार पर दाखिला दिया जाता है जिसके परिणामस्वरूप निर्धन परिवारों के प्रतिभाशाली बच्चे इन स्कूलों में दाखिला नहीं ले पाते हैं ; यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये पब्लिक स्कूल भवन निर्माण, मनोरंजन, पुस्तकालय निधि आदि के नाम पर हजारों रुपये वसूल करते रहते हैं और यदि हां, तो ऐसे कदाचारों को रोकने के क्या कदम उठाये जाने का विचार है; और

(ग) क्या पब्लिक स्कूलों की संख्या में हो रही अत्यधिक वृद्धि को रोकने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) पब्लिक स्कूल अथवा निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल उच्च शुल्क वसूलने वाली संस्थाएं हैं जो केवल इसलिए चल रही हैं चूंकि माता-पिता उच्च शुल्क स्वेच्छा से दे रहे हैं । तथापि सभी माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए संबंधित राज्य सरकार अथवा संघ क्षेत्र प्रशासन से मान्यता प्राप्त करना आवश्यक है । संबंधित राज्य अथवा संघ क्षेत्र के शिक्षा अधिनियमों अथवा नियमावलियों के अन्तर्गत निहित मान्यता प्रदान करने की शर्तों के अधीन उनका स्कूल कर्मचारियों को वेतन का भुगतान और शुल्क वसूलने पर नियंत्रण रहता है । ऐसे कुछ शिक्षा अधिनियमों अथवा नियमावलियों में केपीटेशन शुल्क वसूलने और दान आदि लेने की मनाही है । पब्लिक स्कूलों में प्रवेश की मांग को कम करने के लिए सरकारी स्कूलों के स्तर में सुधार लाना और उन्हें पब्लिक स्कूलों के समकक्ष स्तर पर लाना आवश्यक है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तरोन्यन का कार्य उन्हें व्यापक रूप से एकरूप पेटर्न का पाठ्यक्रम पाठ्य-पुस्तकों को उपलब्ध करवाने और केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के माध्यम से भौतिक सुविधाओं और शैक्षिक आदानों में सुधार लाने के लिए किया जा रहा है । सरकार शैक्षिक अवसरों की समानता के लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से वचनबद्ध है । प्रतिभाशाली बच्चों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों, को सुस्तरीय शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने 1986 में प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय स्थापित करने की योजना आरंभ की । अब तक 261 नवोदय विद्यालय स्थापित करने की योजना आरंभ की । अब तक 261 नवोदय विद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं।

उन पब्लिक स्कूलों को बंद करने से संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ग), 19(1)(छ), 30(1) और 31(क) का उल्लंघन होगा जो निजी गैर सहायता प्राप्त संस्थाओं के रूप में कार्यरत हैं । तदनुसार इन्हें बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । एन०सी० ई० आर०टी० द्वारा पांचवें अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण (संदर्भ दिनांक 30-9-86) के लिए प्रकाशित संक्षिप्त रिपोर्ट के अनुसार उपलब्ध स्कूलों संबंधित नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश में कुल स्कूलों का केवल 4.39% ऐसा है जो निजी गैर-सहायता प्राप्त अथवा पब्लिक स्कूल की श्रेणी में आता है । इस प्रकार देश के अधिकांश स्कूल गैर-समृद्ध वर्गों के बच्चों के प्रवेश के लिए खुले हैं।